छब्बोस-२ युच्चिवालय

बी -2/10/2016/2/एक

क्सियः CONT.No. 269/2015 - श्रीमती मीना मिश्रा विरुद्ध श्री अश्विनी राय, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य

पंजी कमांक 1355, दिनांक 27.02.2016

कृपया उप पंजीयक, उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर से प्राप्त नोटिस दिनांक 05.02.2016 का अवलोकन करने का करें। उल्लेखित अवमानना, रिट पिटिशन कं. 3919 / 2014 (एस) में हुये आदेश दिनांक 16.12.2014 का पालन न होने से दायर की है। प्रकरण में सुनवाई की तिथि 29.03.2016 नियत है।

प्रकरण में उपायुक्त (राजस्व), किमश्नर कार्यालय, इंदौर संभाग, इंदौर को सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने हेत् अनुमोदन की प्रत्याशा में आदेश कृपया हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

27/2/6 (मुधीर कुमार कोचर) **एप समिव (क**ानिक) मध्यप्रदेश सासन सामान्य प्रशासन विमाण

HCM(GAD-2) का विभाग

P-1/L

12-1/6

P-8/c

西山田 1277 / 東京都の / 東京

छब्बीस-२ सच्चिवालय

बी -2/10/2016/2/एक

विषयं: CONT.No. 269/2015 - श्रीमती मीना मिश्रा विरुद्ध श्री अश्विनी राय, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अन्य

HIM (4AD-2) का विभाग

विष्यां कित अवमानना भाग्वेका में अपायुक्त (राष्ट्रें) संभागीय व्यामीलय, रंदीर यंत्राग, रंदीर वर्ग सम्पर्क आबिकारी नियुक्त कार्न के आदेश दिनांक 04/03/2016 को जारी किये अपे की

P-14/C

प्रणारण में प्रतिरक्षण आदेश जारी कारने हेत नस्ती श्यम निर्ध और निधार्थ कार्य विमाग को आंक्रेस करना पाहेंगे।

करती डपण विश्व वि

14/3/16

(पृथीर कुमार वसेचर) हप साधव (कार्यक) मध्यप्रदेश सासन शामान्य प्रशासन विभागः

Paky fantst

सचिय 'कार्बिट

8-2/10/2016/2/2cm High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore NOTICE TO NON-APPLICANT Process Id: 7933/2016 APPLICANT :-Smt. Meena Mishra

CONTEMPT CASE NO. CONC 269/2015

Respondent No. 1 Returnable 29-03-2016

VERSUS

NON-APPLICANT:-

Ashwini Rai

TO,

म्हांक 573 / सम्मारिक / सम्मारिक / सम्मारिक

अश्विनी राय प्रिंसीपल सेकेटरी. कमर्शियल टेक्स डिपार्टमेंट, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, जिलाः भोपाल (म०प्र०)

forwarded for medful action please as at pertains to 6,41 (e)

Whereas information is laid/ a petition filed or reference/motion is made by Petitioner for non-compliance of the order dt. 16/12/2014 passed by this Court in W.P. No. 3919/2014 (s), (Smt. Meena Mishra Vs. The State of M.P. & another).

'And whereas a case has been registered against you for action being taken against you under the Contempt of Court Act 1971.

You are hereby required to appear in person (or by an Advocate duly instructed) on 29-03-2016 at 10:30 A.M. and show cause why such action as is deemed fit should not be taken against you/contempt proceeding be not initiated against you.

GIVEN UNDER my hand and the seal of the High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore this 05-02-2016.

BY ORDER OF THE HIGH COURT,

Ends: Copy of Petition With Annexures. AFFIXED AT INDORE)

Us (p) s.

जावक क्रमांक <u>S67/2016/1/24</u>

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन—462004.

//आदेश//

भोपाल दिनांक 4 मार्च, 2016

कमांक-बी-2/10/2016/2/एक- सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अिधनियम संख्याक-5) के आदेश 27 के नियम 01 तथा 02 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उपायुक्त, (राजस्व), संभागीय कार्यालय, इंदौर संभाग, इंदौर को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर अवमानना याचिका कमांक 269/2015- श्रीमती मीना मिश्रा विरुद्ध श्री अश्वनी राय, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से सम्पर्क अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त करता हैं । सम्पर्क अधिकारी को यह आदेश दिया जाता हैं कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौर नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखत कार्य करेगा:-


- (1) सम्पर्क अधिकारी मामलों के तथ्यों के बारे मे तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए, जिससे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से एरामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जाएगी ।
- (2) समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- (3) वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिससे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करवाएगा ।
- (4) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवाएगा ।
- (5) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा ।

(6) सम्पर्क अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-

- (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट
- (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप
- (ग) उन सभी दस्तावेजो की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तत रिपोर्ट में अपेक्ष की गई हैं ।
- (घ) मामले में विशुद्धीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।




..2



DS (K)

1 1 0 27/1



मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग (7)करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया म. प्र. राज्य के विरूद्ध पारित (8) किया जाता तब विधि विभाग को सूचीत करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय (9)अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग भेजेगा।

यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट (10)बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नही हो।

जैसे ही उसे अपना स्थानांतर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र (11)के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप दने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य सम्पर्क अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

सम्पर्क अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव (12)सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित / छुपी हुई नहीं रह जाये।

सम्पर्क अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसा ही वाद (13)का निर्णय होता है परिणाम की रिपोर्ट के साथ भेजी जायें।

सम्पर्क अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के (14)लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामले में जहां किसी वाद में प्रकृम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित हैं, समय पर कार्यवाही की गई हैं । अतएव वह आदेश की प्रति, जैसे ही वह पारित किया जाए, संभागीय आयुक्त/जिलाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

(फज़ल मोहम्मद) अवर सचिव "कार्मिक" म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पुष्ठांकन कमांक बी-2/10/2016/2/एक प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 🗸 मार्च, 2016

- प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल । 1/
- अति. महाधिवक्ता, म०प्र० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर। 2/
- शासकीय अधिवक्ता, म०प्र० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर। । 3/
- आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर। 4/ कलेक्टर, जिला इंदौर म०प्र०। 5/

...3

संमुक्त कारीकार उज्जन

6/ उपायुक्त, (राजस्व), संमागीय कार्यालय, इंदौर संभाग, इंदौर सम्पर्क अधिकारी (न्यायालयीन प्रकरण) की ओर महाधिवक्ता/ अतिरिक्त महाधिवक्ता/ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण, पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शाासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिए सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ शासन को भेजने हेतु अग्रेषित। मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजी जाए। प्रकरण में सुनवाई हेतु तिथि 29.03.2016 को नियत है।

अवर सचिव "कार्मिक" मoप्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

जावक क्र दिनांक__

for Proson